जयप्रकाश बनाम शिवकुमार

दिनांक 10–01–2022

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग पर एकपक्षीय रुप से सुना। वादीगण अधिवक्ता का यह कहना है कि वादीगण आराजी नं० 352 रकबा 0.136 हे० हरुफ ए, बी, सी, डी बरंग लाल के भूमिधर मालिक व काबिज है। प्रतिवादीगण का वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति हरुफ ए , बी, सी, डी बरंग लाल अन्तर्गत आराजी नं० 352 रकबा 0.136 हे० से कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रतिवादीगण पूर्णतया स्ट्रैंजर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजियात में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार वादीगण द्वारा न्यायालय से एकपक्षीय रुप से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से यह कथन किया गया है कि वादीगण वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति हरुफ ए, बी, सी, डी बरंग लाल अन्तर्गत आराजी नं० 352 रकबा 0.136 हे० के भूमिधर व मालिक काबिज है। उक्त के बाबत फर्द सबूत 10 ग के माध्यम से खतौनी 11 ग व खसरा 12 ग संलग्न है। प्रतिवादीगण का विवादित संपत्ति से कोई वास्ता सरोकार नही है। मामले के तथ्य एवं परिस्थियों में अग्रिम तिथि तक एकपक्षीय रुप से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रतिवादीगण को अन्तरिम रुप से अग्रिम तिथि तक एकपक्षीय रुप से निषेधित किया जाता है। प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति आराजी नं० 352 रकबा 0.136 हे० में वादीगण के कब्जादखल में कोई हस्तक्षेप न करे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण त्वरित पैरवी करे। एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पक्षकारों पर प्रभावी रहेगा एवं अग्रिम तिथि पर यथोचित आधार पाये जाने पर ही अग्रसारित किया जायेगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करे तथा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करे कि प्रार्थना पत्र 7 ग के निस्तारण हेतु सदैव तत्पर व तैयार रहेगा। वास्ते आपत्ति निस्तारण 7 ग दिनांक 10–02–2022 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर

दिनांक 10–01–2022

प्रार्थना–पत्र 9 ग पर सुना, स्वीकृत। वादीगण पैरवी अन्दर 3 दिन करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में अपनी आख्या नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करे।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर